

प्रेषक,

एस0एम0ए0रिजवी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 09 अप्रैल, 2020

विषय: अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 01/ले0शा0/बजट/2020-21 दिनांक 08.04.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वेतन भत्तों व अन्य प्रासंगिक व्यय की विभिन्न मानक मदों हेतु अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रु0 10343.34 लाख (एक अरब तीन करोड़ तैतालिस लाख चौतीस हजार मात्र) एवं भारित मद में धनराशि रु0 9.50 लाख (रु0 नौ लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः वित्तीय वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 में अंकित दिशा-निर्देशानुसार धनराशि रु0 10343.34 लाख (एक अरब तीन करोड़ तैतालिस लाख चौतीस हजार मात्र) एवं भारित मद में धनराशि रु0 9.50 लाख (रु0 नौ लाख पचास हजार मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय संलग्न तालिका में उल्लिखित विवरण के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरितकर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग शासन द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों/शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशियों का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार से व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों एवं स्टोर परचेज नियम तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उन मामलों में स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय और एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रति माह समान रूप से की जाय।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(5) जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करते समय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)

- (6) मानक मद 04 एवं 15 में आवंटित धनराशि का विनियमन इस प्रकार किया जाये, जिससे 'पेट्रोल / यात्रा भत्ता बीजकों का नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित हो सके।
- (7) विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार प्रसार के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (8) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
- (9) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405 मछली पालन, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03, अधिष्ठान, 109 विस्तार तथा प्रशिक्षण, 03 मत्स्य पालक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना, 190 सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता, 03 मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता, 800 अन्य व्यय, 03 अनुसंधान सामान्य, 04 प्रादेशिक मत्स्य पालक विकास अभिकरण की स्थापना, 05 राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन, 11 प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण मद की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने में उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020 में दिये गये निर्देशों/शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय
(एस0एम0एस0रिजर्वी)
विशेष सचिव।

संख्या: 448(1)/सत्रह-म-2020तददिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय)उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 3- उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
- 5- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(कृपा शंकर यादव)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-448/सत्रह-म-2020-6-9(6)/18टीसी दिनांक 09 अप्रैल, 2020 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति-

(रु० लाख में)

योजना का नाम	आय-व्ययक अनुमान 2020-21	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3
001-निदेशन तथा प्रशासन 03-अधिष्ठान-2405000010300		
01-वेतन	1156.69	1156.69
03-महंगाई भत्ता	289.17	289.17
04-यात्रा भत्ता	2.00	2.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.50	1.50
06-अन्य भत्ते	5.00	5.00
08-कार्यालय व्यय	10.00	10.00
09-विद्युत देय	30.00	30.00
10-जलकर/जल प्रभार	10.00	10.00
11-लेखन सामग्री/और फार्मों की छपाई	2.00	2.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपक्रम	0.75	0.75
13-टेलीफोन पर व्यय	1.75	1.75
14- मोटर गाड़ियों का कय	0.00	0.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण/ और पेट्रोल आदि की खरीद	20.00	20.00
17-किसान/उपशुल्क और करस्वामित्व	15.00	15.00
19-विज्ञापन,बिक्री और विख्यापन व्यय	0.01	0.01
29-अनुरक्षण	10.00	10.00
42-अन्य व्यय मतदेय	0.00	0.00
भारित	5.00	5.00
44-प्रशिक्षण	0.50	0.50
45-अवकाश यात्रा पर व्यय	0.50	0.50

46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	1.00	1.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.50	2.50
49-विकित्सा व्यय	20.00	20.00
51-वर्दी	0.50	0.50
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.01	0.01
55-मकान किराया भत्ता	60.00	60.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	15.00	15.00
58-आउट सौसिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10.00	10.00
योग-001-03	1663.88	1663.88
भारित	5.00	5.00
109-विस्तार तथा प्रशिक्षण		
03-मत्स्य पालन शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना		
44-प्रशिक्षण हेतु यात्राव्यय एवं अन्य प्रसागिक व्यय	2.00	2.00
योग-109	2.00	2.00
190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों की सहायता		
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	148.00	37.00
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	700.00	700.00
53- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	33.68	33.68
योग-190	881.68	770.68
800. अन्य व्यय		
03. अनुसंधान सामान्य		
01-वेतन	5745.73	5745.73
02- मजदूरी	1.00	1.00
03-महगाई भत्ता	1436.43	1436.43
04-यात्रा व्यय	15.00	15.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5.00	5.00
06-अन्य भत्ते	16.60	16.60
07-मानदंड	3.60	3.60
08-कार्यालय व्यय	4.00	4.00

09-विद्युत देय	40.00	40.00
10-जलकर/जल प्रसार	1.00	1.00
11-लेखन सामग्री/और फार्मों की छपाई	2.00	2.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	1.00
13-टेलीफोन पर व्यय	3.00	3.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण/ और पेट्रोल आदि का क्रय	12.00	12.00
16-व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3.00	3.00
17-किराया/उपशुल्क और करस्वामित्व	20.00	20.00
18-प्रकाशन	0.30	0.30
19-विज्ञापन/विख्यापन	0.30	0.30
29-अनुरक्षण	1.00	1.00
42-अन्य व्यय मतदेय	1.00	1.00
भारित	4.50	4.50
44-प्रशिक्षण	0.50	0.50
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	5.00	5.00
47-कम्प्यूटर अनु० तत्संबंधी/ स्टेशनरी क्रय	2.00	2.00
49-चिकित्सा व्यय	25.00	25.00
51-वर्दी	1.00	1.00
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.01	0.01
55-मकान किराया भत्ता	250.00	250.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	25.00	25.00
58-आउट सॉसिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2.00	2.00
योग 800-मतदेय	7623.47	7623.47
भारित	4.50	4.50
800-अन्य व्यय		
04-प्रादेशिक मत्स्य पालक विकास अभिकरण की स्थापना		
01-वेतन	137.00	137.00
03-महगाई भत्ता	34.25	34.25
04-यात्रा व्यय	3.00	3.00

05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	2.00
06-अन्य भत्ता	1.00	1.00
08-कार्यालय व्यय	2.00	2.00
09-विद्युत देय	5.00	5.00
11-लेखन सामग्री/और फार्मों की छपाई	1.50	1.50
12-कार्यालय फर्नीचर	1.00	1.00
13-टेलीफोन पर व्यय	1.50	1.50
15-गाड़ियों का अनुरक्षण/ और पेट्रोल आदि का व्यय	5.00	5.00
17-किराया/उपशुल्क और कर स्वामित्व	4.00	4.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
47-कम्प्युटर अनु०/तत्संबंधी स्टेशनरी क्रय	2.00	2.00
49-विकित्सा व्यय	5.00	5.00
51-चर्दी	0.20	0.20
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.01	0.01
55-मकान किराया भत्ता	30.00	30.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	10.00	10.00
58-आउट सौरिंग सेवाओं हतु भुगतान	5.00	5.00
योग-800-04	249.96	249.96
800-अन्य व्यय		
05-राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन		
02-मजदूरी	1.00	1.00
04-यात्रा भत्ता	0.50	0.50
08-कार्यालय व्यय	0.50	0.50
09-विद्युत देय	20.00	20.00
10-जलकर-/जल प्रभार	2.00	2.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.25	0.25
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50	0.50
13-टेलीफोन पर व्यय	0.20	0.20
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0.25	0.25

17-किसान,उपशुल्क और कर -स्वामित्व	3.00	3.00
18-प्रकाशन	0.10	0.10
42-अन्य व्यय	0.25	0.25
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00	1.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्य	0.20	0.20
51-वर्दी	0.10	0.10
योग-05	29.85	29.85
11- प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण		
39- औषधि तथा रसायन	3.50	3.50
योग - 11	3.50	3.50
योग 800-अन्य व्यय मतदेय	7906.78	7906.78
भारित	4.50	4.50
कुल योग-2405- मतदेय	10454.34	10343.34
भारित	9.50	9.50

(रु० एक अरब तीन करोड़ तैतालिस लाख चौतीस हजार मात्र)
(भारित रु० नौ लाख पचास हजार मात्र)

(कृपा शंकर यादव)
अनु सचिव।